रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 14] नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 21, 1975/माघ 1, 1896
No. 14] NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 21, 1975/MAGHA 1, 1896

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

NOTIFICATIONS

CENTRAL EXCISES

New Delhi, the 21st January 1975

G.S.R. 14(E).—In exercise of the powers conferred by section 37 of the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Excise Rules, 1944, namely:—

1. These Rules may be called the Central Excise (Third Amendment) Rules, 1975.

2. In the Central Excise Rules, 1944, for sub-rule (3) of rule 224, the following sub-rules shall be substituted, namely:—

"(3) No excisable goods shall, in excess of the quota determined in the manner provided for in sub-rule (4), be removed for home consumption from a factory licensed under these rules or from a warehouse during any week in such period not exceeding four weeks in a year as the Central Government may, by notification in the official gazette, from time to time specify:

Provided that the Central Government may, if it is satisfied that it is necessary or expedient in public interest so to do, permit, by general or special order, any assessee or class of assessees to remove, subject to such conditions as it may specify, such goods for home consumption in excess of the said quota from the factory or, as the case may be, from the warehouse.

(4) The quota referred to in sub-rule (3) shall, in a case where excisable goods are liable to duty—

(i) at a rate dependent on the value thereof, be one hundred and twenty per cent of the weekly average value of such goods;

(ii) with reference to the quantity thereof, be one hundred and twenty per cent of the weekly average quantity of such goods,

removed for home consumption from the factory or, as the case may be, from the warehouse, during the twelve months immediately preceding the month in which the removal of such goods is subject to the provisions of sub-rule (3); and if, in any case the quota is not determinable in the aforesaid manner it shall be determined by the Collector in such manner as he may deem fit.

(5) For the purposes of sub-rules (3) and (4)—

(i) the expression 'excisable goods' shall include—

(a) goods initially removed from the factory or warehouse for being warehoused or for being exported under bond, but subsequently diverted for home consumption on payment of duty; and

(b) goods manufactured prior to the imposition of duty thereon and removed without payment of duty from the factory during the period of twelve months referred to in sub-rule (4);

(ii) the expression 'twelve months' shall mean—

(a) in the case where a factory starts production or manufacture of excisable goods or a warehouse is established for lodging excisable goods, for the first time during the twelve months preceding the month in which the removal of such goods is subject to the provisions of sub-rule (3), the number of complete weeks commencing from the date of production or from the date of establishment of the warehouse, as the case may be, and ending on the day before the first day of such month;

(b) in a case where a factory is closed on account of any lockout or strike during the period of twelve months referred to in sub-clause (a), fifty-two weeks less the number of completed weeks of such lockout and strike; and

(c) in any other case, fifty-two weeks."

[No. 8/75-C.E.]

वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बीमा विभाग)

अधिसूचनाएं

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

नई दिल्ली, 21 जनवरी, 1975

सा० का० नि० 14 (अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 37 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 में आगे और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (तीसरा संशोधन) नियम, 1975 है।

2. केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 में, नियम 224 के उपनियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(3) उपनियम (4) में उपबन्धित रीति से अवधारित कोटा से अधिक कोई भी उत्पाद-शुल्क योग्य माल इन नियमों के अधीन अनुज्ञप्त कारखाने से या भाण्डागार से, एक वर्ष में चार सप्ताह से अनधिक ऐसी अवधि में, जैसी कि केन्द्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट की जाए, किसी सप्ताह के दौरान स्थानीय उपभोग के लिए नहीं हटाया जाएगा :

परन्तु केन्द्रीय सरकार, यदि उसका यह समाधान हो जाए कि ऐसा करना लोक हित में आवश्यक या समीचीन है, साधारण या विशेष आदेश द्वारा किसी निर्धारिती या निर्धारितियों के वर्ग को, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जैसी कि केन्द्रीय सरकार विनिर्दिष्ट करे, उक्त कोटा से अधिक ऐसे माल को, यथा स्थिति किसी कारखाने से या भाण्डागार से, स्थानीय उपभोग के लिए हटाने की अनुज्ञा दे सकती है ।

(4) उपनियम (3) में निर्दिष्ट वह कोटा जो उस मास के, जिसमें कि ऐसे माल का हटाया जाना उपनियम (3) के उपबन्धों के अधीन है, ठीक पूर्ववर्ती बारह मास के दौरान, यथास्थिति, किसी कारखाने से या भाण्डागार से स्थानीय उपभोग के लिए हटाया जाएगा,—

(i) उस दशा में जहां उत्पाद-शुल्क योग्य माल पर उनके मूल्य पर आधारित दर से शुल्क प्रभार्य है, ऐसे माल के साप्ताहिक औसत मूल्य का एक सौ बीस प्रतिशत होगा; और

(ii) उस दशा में जहां उत्पाद-शुल्क योग्य माल पर उसके परिमाण के प्रति निर्देश से शुल्क से प्रभार्य है, ऐसे माल के साप्ताहिक औसत परिमाण का एक सौ बीस प्रतिशत होगा;

तथा उस दशा में जहां कोटा उपरोक्त रीति से अवधार्य नहीं है वहां कोटा कलक्टर द्वारा ऐसी रीति से अवधारित किया जाएगा जैसी वह ठीक समझे ।

(5) उपनियम (3) और (4) के प्रयोजनों के लिए—

(i) 'उत्पाद-शुल्क योग्य माल' पद में निम्नलिखित सम्मिलित हैं, अर्थात् :—

(क) वह माल जो किसी कारखाने या भाण्डागार से आरम्भतः भाण्डागारण के लिए अथवा बन्धपत्र के अधीन निर्यात के लिए हटाया जाए किन्तु तदनन्तर शुल्क का संदाय करने पर, स्थानीय उपभोग के लिए ले लिया जाए ; और

(ख) वह माल जो उस पर शुल्क के अधिरोपित किए जाने के पूर्व निर्मित हो और जो बारह मास में से उपनियम (4) में निर्दिष्ट अवधि के दौरान, शुल्क का संदाय किए बिना, कारखाने से हटाया जाए ।

(ii) 'बारह मास की अवधि' पद से निम्नलिखित अवधि अभिप्रेत है, अर्थात् :—

(क) उस दशा में जहां कारखाने के उत्पाद-शुल्क योग्य माल का उत्पादन या विनिर्माण अथवा उत्पाद-शुल्क योग्य माल को रखने के लिए भाण्डागार की स्थापना, प्रथम बार उस मास के पूर्ववर्ती बारह मास के दौरान की जाए जिस मास में ऐसे माल का हटाया जाना उपनियम (3) के उपबन्धों के अधीन हो, वहां, यथास्थिति उत्पादन की तारीख से या भाण्डागार की स्थापना की तारीख से आरम्भ और ऐसे मास के प्रथम दिन के पूर्व के दिन को समाप्त होने वाले पूर्ण सप्ताहों की कुल संख्या ;

(ख) उस दशा में जहां कारखाना उपखण्ड (क) में निर्दिष्ट बारह मास की अवधि के दौरान तालाबन्दी या हड़ताल के कारण बन्द हो वहां ऐसी तालाबन्दी या हड़ताल के पूर्ण सप्ताहों की संख्या को घटा कर कुल बावन सप्ताह ; और

(ग) किसी अन्य दशा में, बावन सप्ताह।"

[सं० 8/75-सी० ई०]

G.S.R. 15(E).—In pursuance of sub-rule (3) of rule 224 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby specifies the period commencing from the 1st day of February, 1975 and ending with the 28th day of February, 1975 (both days inclusive) as the period during which removals of excisable goods for home consumption shall be subject to the provisions of that sub-rule.

[No. 9/75]

S. D. MOHILE, Under Secy.

सा० का० नि० 15 (अ०)— केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 224 के उपनियम (3) के अनुसरण में, 1975 की फरवरी के प्रथम दिन आरम्भ होने वाली और 1975 की फरवरी के अट्ठाइसवें दिन समाप्त होने वाली (दोनों दिनों को सम्मिलित करते हुए) अवधि को उस अवधि के रूप में विनिर्दिष्ट करती है जिसके दौरान उत्पाद-शुल्क योग्य माल को, जो स्थानीय उपभोग के लिए है, हटाया जाना उक्त उपनियम के उपबन्धों के अधीन होगा।

[सं० 9/75-सी० ई०]

सतीशचन्द्र द० मोहिले, अवर सचिव

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1975